International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

महिला नेतृत्व की ग्रामीण पंचायतीराज संस्थाओं में सहभागिता का समाजषास्त्रीय अध्ययन

(श्री गंगानगर जिले के चयनित ग्राम पंचायतों का समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ. सतीष कुमार
शोध निर्देशक, सामाजिक विज्ञान विभाग
टाँटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.)

परविन्द्रजीत सिंह
शोधार्थी, सामाजिक विज्ञान विभाग
टाँटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.)

साराशं –

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। भारत को स्वतंत्र हुए छह दशक बीत चुके है। इस अवधि में समाज में बहुत कुछ बदला है। स्वतंत्रता के बाद हमारें यहां जो लोकतांत्रिक प्रणाली लाई गई वह वैश्विक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। नागरिकों को मिले समान अधिकारों के साथ ही भारतीय महिलाओं को समान शैक्षिक अवसर ,सम्पत्ति और विरासत में बराबर का अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे सामाजिक स्तर पर स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया,लेकिन राजनीतिक मानचित्र फिर भी नहीं बदला। महिला सशक्तीकरण के संबंध में आफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है। कि ''यह औरतों को शक्ति क्षमता तथा काबिलियत देता है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधारकर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकें अर्थात यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की न केवल समझ दे अपितु साथ ही साथ सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकने की क्षमता प्रदान करे। राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय से पुरूषों का वर्चस्व कायम रहा है। गांधी जी ने कहा है कि'' स्त्रियों के साथ अपने व्यवहार और बर्ताव में पुरूषों ने इस सत्य को पूरी तरह से

पहचाना नहीं है। कि स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरूषों ने अपने को उसका स्वामी माना है।''

भारत में किसी राजनीति दल ने महिला आरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सबसे मजबूत और विशाल लोकतन्त्र का दावा करने वाले हमारे देश के संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 8.3 प्रतिशत है। ये आंकड़ें पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के नेतृत्व की अस्वीकार्यता की संकीर्ण मानसिकता को उजागर करते है। इसकी पुष्टि गांधीजी के इन कथनों में है कि ''कानून की रचना ज्यादातर पुरूषों द्वारा हुई है और इस काम को करने का जिम्मा पुरूषों ने अपने ऊपर खुद ही उठा लिया है, परन्तु उसने न्याय और विवेक का पालन नहीं किया है।''

महिला नेतृत्व को तभी बल मिलता है जब उन्हें आरक्षण प्राप्त हो। महिला आरक्षण से संबन्धित विधेयक के विरोध में आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि महिलाओं के लिए राजनीति के दांवपेचों को समझना मुश्किल है क्योंकि महिला का जीवन घर–परिवार में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए राजनीति जैसे गूढ़ विषय को समझना एवं नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना महिलाओं के वश की बात नहीं है। रजनीति में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख बाधाओं में एक है, राजनीति का अपराधिकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन संगठन की संस्थापक नईस हसन का मनना है कि महिलाओं के मुदे सभी वर्ग में एक से हैं चाहे वह मुस्लिम हो, हिन्दू हो या किसी और वर्ग की हो। मुस्लिम समुदाय में नेतृत्व की कमी है। इस समुदाय में केवल महिलाओं को मजहब के दायरे में ही बांधकर देखा जाता है। उन्हें घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इनका मानना है कि अशिक्षा महिलाओं की प्रगति के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षा से तात्पर्य केवल डिग्री हासिल करना ही नहीं है, शिक्षा का अर्थ है–जानकारी, अपने आस–पास के वातावरण की जानकारी और खुद को समझने की क्षमता ही जुर्म के खिलाफ लड़ने का हथियार बनती हैं। यही जानकारी उसे अपनी पहचान

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

दिलाने में भी सहायक होती है। गांधीजी ने कहा कि ''स्त्रियों पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरूषों पर न लगाया गया हो''।

परिचय –

हमारा देश ग्राम्य प्रधान रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत गांवों में निवास करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने ग्रामीण समुदाय के विकास पर ध्यान दिया। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास को गतिशील करने के उद्देश्य से सामुदायिक विकास योजना 1952 एवं राष्ट्रीय विस्तार योजना 1953 प्रारम्भ की गयी परन्तु दुर्भाग्यवश यह योजनायें अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। बलवन्त राय मेहता कमेटी 1957 की संस्तुतियों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सन् 1959 में देश में लागू की गयी। अशोक राय मेहता कमेटी, 1977 तथा जी0 वी0 के0 राव कमेटी, 1985 ने पंचायती राज व्यवस्था को व्यक्तिोन्मुखी बनाने हेतु अमूल्य सुझाव दिये।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम (जो 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ) द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। महिलाओं के विकास के दृष्टिकोण से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वास्तव में एक मील का पत्थर साबित हुआ जिसने पंचायतों में 33 प्रतिशत सीटों पर महिला प्रतिनिधियों को आरक्षण प्रदान किया। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को राजनैतिक रूप से सशक्त किया जाना है। यह भी तय किया गया कि यह आरक्षण महिला पदाधिकारियों के स्वयं के लाभ के लिए न हो बल्कि चुनी गयी महिलायें पिछड़ी व दबी महिलाओं के जीवन–स्तर में सुधार कर सकें। अधिनियम केवल महिलाओं को आरक्षण देने तक ही सीमित नहीं है अपितु उनकी अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। साथ ही साथ उन महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान करता है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों की है तथा उन्हें भी निर्णयकारिता में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को संवैधानिक आरक्षण प्राप्त हुए लगभग दो दशक व्यतीत हो चुका है और अब आवश्यकता इस बात की है कि एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाये, कि क्या महिलाओं की इस राजनैतिक सहभागिता से उनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार हुआ है, और क्या वास्तव में उनका सशक्तीकरण हुआ है? यदि नहीं तो क्यों? महिला सशक्तीकरण के लिए किन आवश्यक कदमों को उठाकर और कैसे 'उनमें आत्मविश्वास को जागृत किया जाये?'

73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में निर्णयकारिता से महत्वपूर्ण रूप से जोड़ दिया है। ग्राम पंचायतों में बड़ी मात्रा में महिलायें चुनी गयी। 1995 के ग्राम पंचायत चुनावों में उत्तर प्रदेश में कुल 799780 चुने गए प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या 120591 रही। पंचायत समिति सदस्यों की कुल 19991 संख्या में महिलाओं की सदस्य संख्या 13865 तथा जिला परिषद में कुल 2687 में से 634 महिला सदस्य रहीं। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर कुल चुने गये सदस्य 474351 थे जबकि महिलाओं की सदस्य संख्या 74770 रहीं। पंचायत समितियों में कुल 9097 में से 1371 महिलायें तथा जिला परिषद में कुल 1036 में से 150 महिलायें थी। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों की कुल सदस्य संख्या 303545 में से 101182 महिलायें, पंचायत समिति में 1174 तथा जिला परिषद में कुल 587 महिलायें चुनी गयी। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि संविधान संशोधनों ने बड़ी संख्या में महिलाओं को ग्राम विकास में भागीदारी ही नहीं बल्कि नेतृत्व करने का अवसर भी दिया है परन्तु राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के सवाल पर महिलायें कई दशकों से संघर्ष करती आ रही हैं। निर्णय लेने वाले व्यक्तियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी बहुत कम हैं। कितनी महिलायें नीति निर्णायक स्थिति में रही हैं? जबसे महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी प्राप्त हुई है सभी स्तरों पर कितने निर्णय लिए गए हैं? महिलाओं का सशक्तिकरण केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक प्रश्न से भी हैं। दुर्भाग्य से महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला राजनीतिक भागीदारी में अभी भी बहुत पिछड़ा है। आरक्षण के बावजूद महिलायें अभी भी हाशिए पर है। निर्णयकारिता में

उनका योगदान न के बराबर है। वे केवल पति के डमी उम्मीदवार या रबर स्टैम्प ही बनकर रह गई है। कुछ चुने हुये उदाहरण है जिनसे परिलक्षित होता है कि महिलायें पंचायती राज में अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से निभा पा रही हैं। राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की छवि को रूढ़िवादी ढंग से प्रदर्शित किया जाता है और महिलाओं को राजनीति में प्रवेश के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है। महिलाओं के सम्बन्ध में अनेक अध्ययन हो चुके हैं जिसमें बताया गया है कि महिलायें स्वतंत्र मतदाता नहीं होती है क्योंकि उस वर्ग का अधिसंख्य मतदाता निरक्षर होती है। उनको सूचनायें कम मिल पाती है। उनमें राजनीतिक जागरूकता का अभाव रहता है तथापि इन अध्ययनों में राजनीतिक भागीदारी शब्द की परिभाषा बहुत ही संकीर्णता से की गई है जिससे उसका सम्पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है। राजनीति में महिलाओं को हाशिए पर रखा जाता है यह घटना सार्वभौमिक है। संस्थायें एवं विचारों के कारण महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी से रोका जाता है उसे अपंग बनाने का प्रयास किया जाता है। किसी भी समाज में जन सामान्य की राजनीतिक सहभागिता जितनी अधिक होती है राजसत्ता को उतना ही अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। चूँकि महिला एवं पुरूष स्वभावतः एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं की सहभागिता सत्ता क्षेत्र में स्थायित्व का प्रमुख कारक सिद्ध हो सकती है।

प्रस्तावित अन्वेषण महत्त्व

भारत व भारतीय समाज भूमण्डलीकरण, उदारीकरण के दौर में लगभग 20 वर्षों की यात्रा कर चुका है। विश्व ग्राम की संकल्पना के अन्तर्गत अब जब यह भावना बलवती होती जा रही है कि यदि शेष विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित करना है तो उन परम्पराओं को, रूढ़ियों व प्रथाओं में परिष्कार लाना होगा जो समाज के महत्वपूर्ण भाग स्त्री समाज को हाशिए पर रखने को तार्किक मानता है। पुरुष प्रधान संस्कृति एवं सामाजिक संरचनाएं ग्रामीण भारत में पंचायतों के माध्यम से स्थानीय

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

शासन में महिला सहभागिता को प्रभावित करती है। अब भी कुछ परिवार अपनी महिलाओं को पंचायतों में काम करने की स्वीकृति नहीं देते, क्योंकि वे महिला का स्थान घर में समझते हैं, पंचायत में नहीं पारम्परिक परिवार महिलाओं की स्वतन्त्रता को उचित नहीं समझते। ज्यादातर महिला जनप्रतिनिधियों के पति ही उनका काम संभालते हैं। इस कारण उनके लिए सरपंच पति या प्रधान पति जैसे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। ये लोग ही पंचायत प्रतिनिधि के रूप में महिला का सारा कार्य करते हैं, उनका कार्य चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है। वे ही चुनावों में वोट मांगते हैं, प्रचार करते हैं, एजेंट बनाने एवं मतगणना तक की व्यवस्था अपनी निगरानी में करवाते हैं, महिला उम्मीदवार एवं प्रतिनिधि केवल हस्ताक्षर करती हैं। उनकी तरफ से सारे वादे एवं योजनाएं उनके पति ही जनता के सामने पेश करते हैं। सच तो यह है कि मतदाता भी उनके पति की साख, योग्यता, ईमानदारी एवं राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए मतदान करते है। ये पति ही जीतने के बाद महिला को बैठकों आदि आवश्यक कार्यों में अपने साथ ले जाते हैं। उनके 'हाँ' या 'ना' के आधार पर ही महिला किसी प्रस्ताव या अन्य प्रशासनिक कार्यों एवं आदेशों पर हस्ताक्षर करती हैं।

इस प्रकार पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रति पुरुषों की मनोवृत्तियों, अभिरूचियों एवं व्यवहारों को उनके सकारात्मक व नकारात्मक अर्थात् सहयोगात्मक व प्रतिक्रियात्मक संदर्भों में ही देखा जा सकता है।

शोध समस्या

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के प्रवेश व सहभागिता को समानता तथा नारी सबलीकरण या नारी सशक्तीकरण सम्बन्धी अनिवार्यता के परिप्रेक्ष्य में भी देखना आवश्यक

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

है। इस रूप में, शिक्षा स्वास्थ्य आदि जैसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन में, बिना किसी विभेद के अवसरों की समान उपलब्धता ही समानता है।

वास्तव में लैंगिक विषमताओं को प्रोत्साहित करने वाली परम्परागत संस्थाओं व संरचनाओं में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जिससे कि महिलाओं की समानता सुनिश्चित हो सके, महिला—सशक्तीकरण का आधार माना गया है। महिला सशक्तीकरण के कुछ परिभाषित मानकों को अधोलिखित रूपों में देखा जा सकता है :—

- महिलाओं में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना विकसित करना।
- महिलाओं में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास करना।
- महिलाओं में आर्थिक स्वतन्त्रता हेतु सूचना, ज्ञान व कुशलता उपलब्ध कराना।
- महिलाओं के कानूनी ज्ञान का विकास तथा स्वयं के अधिकारों सम्बन्धी सूचनाओं तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करना।
- सामाजिक—आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से उनकी सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयास करना।

साहित्य का पुनर्रावलोकन

अलका गुरहा ने सन् 2000 में प्रस्तुत अपने शोध प्रबंध ''पंचायती राज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका'' में कहा है कि भारतीय समाज में महिला आरक्षण एवं पंचायत चुनावों का जिस तरह तरह चितंन हुआ है उससे यह बात स्पष्ट है कि ज्यादातर महिलाओं ने अपने पति या पुत्र की इच्छा से चुनाव लड़ा है। अधिकांश महिलाओं को चुनाव से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी नहीं होती है।

योजना सितम्बर 2001 में प्रकाशित डी. के घोष के लेख, ''जनसंख्या नीति में पंचायतों की भूमिका'' में लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के सम्मुख विद्यमान सबसे जटिल समस्या है, इस विषय में दो राय नहीं हो सकती। सवाल यह है कि उसमें

गैर–सरकारी संगठनों और पंचायतों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जाए और इस कार्य में लगे विभिन्न संगठनों में समन्वय किस प्रकार लाया जाए। लेखक की मान्यता है कि जनसंख्या मुद्दे से जुड़े सब लोगों का एकजुट प्रयास ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को सफल बना सकता है।

इन्दु कुमारी सिन्हा ने मासिका पत्रिका योजना, सितम्बर 2003, के अंक में प्रकाशित अपने लेख ''स्त्री सशक्तीकरण अतीत से अब तक'' में लिखा है कि, '' इसमें संदेह नहीं कि स्त्री होने के नाते किसी को भी यह सोचना अच्छा लगे कि स्त्री समुदाय को प्रजातांत्रिक संस्थानों के साथ–साथ नौकरियों और सेवाओं में आरक्षण मिले। यदि मिले तो निस्संदेह स्त्रियों को प्रसन्नता होगी वैसे विचार करने पर लगता है कि आरक्षण समस्या का समाधान नही, वह एक लालीपॉप की तरह है जिसके सहारे समस्या का अहसास दबा दिया जाए। अधिक अच्छा यह होगा कि स्त्रियों को वस्तुनिष्ठ तौर पर ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिनके सहारे वे अपने व्यक्तित्व का स्वेच्छा से स्वतंत्र निर्माण कर सके। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए अधिक से अधिक सहायता मिले तो वे अपनी सृजन शीलता से चमत्कार कर सकती हैं। अभी तो उनकी अपनी कठिन समस्या यह है कि उनके 'प्रकृत व्यक्तित्व' पर पुरूष, वर्चस्व के कारण जो कृत्रिम सामाजिक व्यक्तित्व' आरोपित हैं। उसी से वे पूरी तरह अपने को बचा नहीं पा रहीं हैं। आवश्यकता इस बात की हैं कि स्त्री उस मुखौटे को उतार फेंके जो उसे इसकी इच्छा के विरूद्ध पहनाया गया और बाद में जिसे वह बिल्कुल स्वाभाविक मानने लगी।''

निष्कर्ष

पंचायती राज ग्रामवासियों की जीवन पद्वति का केन्द्र बनता जा रहा है। अशिक्षित जनता, जातिगत और धर्मगत अंधविश्वास, परम्परागत अलोकतांत्रिक सामाजिक और पारिवारिक ढांचे, परिपक्व राजनीतिक प्रबुद्वता की कमी आदि के कारण पंचायती राज की उपलब्धियों का आंकलन कम हो रहा है। पंचायती राज व्यवस्था ने देश के राजनीतिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके क्रियाकलापों ने ग्राम्य जीवन में एक

नया जागरण पैदा कर गांव वालों को शोषित होने से बचाया है। वोट की कीमत समझी जाने लगी है, ग्रामीण जनता की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रित संस्थाएं स्वशासन की इकाईयों के रूप में विकसित हो रही है। समाज, समुदाय तथा देश निर्माण में महिलाओं की भूमिका के महत्व की मानसिकता में एक विश्वव्यापी बदलाव आया है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ा कर इन निकायों में 50 प्रतिशत करने का प्रावधान है। ये सब राजनीति में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता का ही नतीजा है। अब धीरें–धीरें वर्तमान में महिला विकास व उसके सशक्तिकरण को लेकर एक अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीणों में विशेषकर निम्न वर्ग एवं महिलाओं में आत्मविश्वास जगाया है। ये ही लोग समाज का वह हिस्सा है जिसमें आत्मविश्वास और आत्मानुभूति की जाग्रति ग्रामीण पुनर्निमाण हेतु अतिआवश्यक है।

प्राचीन काल में पंचायतों को स्वायत्त स्वशासन की इकाइयां कहा गया है। इनका गठन समाज के उच्च वर्ग से संबंधित वृद्ध सदस्यों द्वारा होता था। महिलाओं के इनके सदस्य होने के प्रमाण नहीं है। इन संस्थाओं में पुरूषों को सदस्यता, मनोनयन या परम्पराओं द्वारा स्वतः ही प्राप्त होती थी। इन सस्ंथाओं को न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन पंचायतों के इस स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन आता रहा है।

पंचायती राज सस्ंथाओं में महिलाओं की सहभागिता का आरम्भ पंचायती राज संस्थाओं में इनकी राजनीतिक भागीदारी किये जाने से हुआ। जो प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकी। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक और असफल ही रहा हैं। शोध के दौरान यह पाया गया है कि महिला नेताओं के प्रति पुरूष के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने पर पाया कि 22.8 प्रतिशत महिला नेताओं के कार्यक्षेत्र में उनके प्रति पुरूष हस्तक्षेप करते है। ये पुरूष महिलाओं के पति, पुत्र या अन्य रिश्तेदार होते है तथा उनके दायित्व को संभालते है। इस प्रक्रिया का परिणाम नये संबोधनों जैसे पी.पी. (पंच पति) एस.पी. (सरपंच पति) के रूप में निकलता है।

संविधान के 73 वें, 74 वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण व स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था को क्रान्तिकारी परिवर्तन माना जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों व नीतिनिर्देशक तत्वों में महिला और पुरूष को समानता की स्थिति प्रदान करते हुए भी कुछ विषेष प्रावधान महिलाओं के लिए किये गये है, साथ ही समय–समय पर महिलाओं के लिए कई कानून बनाये गये है। जैसे दहेज विरोधी अधिनियम, सती निषेध अधिनियम, समान वेतन अधिनियम आदि अनेक कानून है। जिनमें महिलाओं को पुरूषों के बराबर का स्तर प्राप्त है।

महिला सशक्तीकरण हेतु प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक वर्ष 1996, 1997, 1998, 2000 में अलग–अलग सरकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया जबकि महिला सशक्तीकरण वर्ष 2001 में इस विधेयक पर कोई विचार तक नहीं किया गया है।

प्रस्तुत शोध में महिला सशक्तिकरण व आरक्षण के सैद्वान्तिक पक्ष के अध्ययन के साथ उसके व्यवहारिक पक्ष का आंकलन करने के लिए महिलाओं और पुरूषों के साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोणों तथा मान्यताओं का भी गहन अवलोकन किया गया। महिला आरक्षण के संदर्भ में यह मत उभर कर आया है कि स्थानीय स्तर के समान यदि राज्य विधानसभा एवं संसद में महिलाओं की सीटों के लिए आरक्षण किया जाता है तो वह उनको सशक्त करने की ओर एक प्रयास होगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन श्रीगंगानगर जिले की महिलाओं चाहें वें पंचायतों में किसी भी पद पर (जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य) कार्य कर रही है कि कार्यशैली में क्या परिवर्तन आया है निश्चित रूप से अब उनकी सहभागिता निरन्तर बढ़ रही है। उनके चुने जाने के बाद जहां कुछ समय तक उनके पतियों ने उनके कार्यो को किया वहीं उनके बाद जल्दी ही महिलाएं अपने कार्यो को भलीभांति समझकर करने लगी है। अब ये नियमित रूप से बैठकों में भाग लेती है तथा खुलकर बोलती है। जहां पहले वे बैठक में हर समय घूंघट या पर्दा में रहती थी वही धीरें–धीरें अब यह प्रवृति समाप्त होने लगी है। जिसे निश्चित रूप से एक

क्रान्तिकारी परिवर्तन माना जा सकता है। जो केवल 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संभव हुआ है अब महिलाएं अपने क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को अच्छी तरह से समझने लगी है। तथा उनके समाधान के लिए प्रयत्नशील है। महिलाओं से साक्षात्कार के दौरान महिलाओं से जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर उन्होनें बड़े ही सहज भाव से दिए। उनका कहना था कि शुरूआत में उन्हें चुनाव लडने तथा वोट मांगने में हिचक होती थी इसलिए वें घरवालों के कहने पर ही चुनाव लड़ती थी। इसके विपरित अब पुरूषों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होनें चुनाव लडते समय अपने क्षेत्र की महिलाओं के विकास को प्रमुख मुद्दा बनाया, चूंकि महिला ही महिलाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकती है इसलिए चुने जाने के बाद उन बुराईयों को दूर करना चाहती है, जो महिलाओं के विकास में बाधक है।

इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने एवं महिलाओं के रचनात्मक सकारात्मक सहयोग एवं भागीदारी को प्राप्त करने तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु दिये गये इन सुझावों के माध्यम से पंचायती राज की मौलिक सोच व विकेन्द्रिकरण की वस्तुस्थिति को यथार्थ में प्राप्त किया जा सकता हैं। यह निश्चित कहा जा सकता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढा ने से अन्य क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी स्वतः ही निश्चित रूप से बढ़ने लगेगी। इस प्रकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हेतु एक तिहाई आरक्षण संबंधित प्रावधान उन्हें उत्तरदायित्व सौंपने के साथ ही उनके साथ समुचित न्याय करता है। अतः प्रस्तावित शोध के माध्यम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय बनाने के लिए जो सुझाव दिये गये है यदि उनका निश्चित दिशा में समुचित रूप से पालन किया जाये तो विश्वास है कि महिलाओं की राजनीतिक एवं सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आयेगें।

संदर्भ सूची (List of References Cited)

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

1 सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (2003) राम आहूजा, रावत पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली।
2 रिसर्च मैथ्डोलॉजी, डा. आर.एन. त्रिवेदी, डा. डी.पी. शुक्ला, कालेज बुक डिपो, 83, त्रिपोलिया बाजार जयपुर,
3 पंचायतों की भूमिका : ग्राम तथा क्षेत्र/जिला स्तर पर : पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार व यूनिसेफ लखनऊ
4 सामाजिक अनुसंधान (शोध) : एम एल गुप्ता डी.डी. शर्मा – साहित्य भवन हास्पिटल रोड आगरा–282003
5 हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन इंडिया : एच.टी.टी.पी./वीकीपीडिया ओ.आर.जी. इन
6 पंचायती राज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका, अलका गुरहा – 2000
7 राजस्थान में महिला पंचायतीराज : दशा और दिशा – नीलिमा अग्रवाल, कुरूक्षेत्र पत्रिका नवम्बर 2002
8 स्त्री सशक्तीकरण : अतीत से अब तक, इन्द्र कुमारी सिन्हा, सितम्बर 2003, योजना मासिक पत्रिका
9 पंडुकला मित्तल, कुरूक्षेत्र 2005 दिसम्बर शक्ति स्वरूपा नारी अब कानूनन शक्तिमान
10 राजनीति में महिला नेतृत्व संभावनाओं की तलाश – शास्त्री लेखिका ऋत्रु सारस्वत, 13 जनवरी 2009 योजना
11 G. S. Narwani & R. P. Joshi, "Panchayat Raj in India".
12 S. N. Mishra, Lokesh Kumar, Chaitali Pal, "New Panchayati Raj in Action".
13 भारत सरकार, सभी के लिए शिक्षा, भारतीय परिदृश्य, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जनवरी, 1994
14 भारत सरकार, भारत का संविधान, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, 1991

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

15 प्रकाश नरायण नाटाणी, महिला जागृति और कानून